107

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मोतीमहल, ग्वालियर म0प्र0

रिव्यू प्रकरण कमांक: /2016 रिव्यू-3228-I/16

मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ, म0प्र0

------- आवेदक

बनाम

1– सरला पुत्री मुलायम सिंह ठाकुर

2– लोकपाल सिंह तनय हरदेव सिंह ठाकुर

दोनो निवासी ग्राम ढिमरपुरा, तहसील ओरछा, जिला टीकमगढ, हाल निवासी मेनरोड, ओरछा, जिला टीकमगढ म0प्र0

-------- अनावेदकगण

21-9-16

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता वास्ते पुर्नविलोकन किये जाने बावत ।

माननीय महोदय,

आवेदक आपके न्यायालय का प्रकरण कमांक निगरानी 2561–1/2016 पक्षकार सरला आदि विरूद्व मध्य प्रदेश शासन मे पारित आदेश दिनांक 19–08–2016 मे मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नवलोकन निम्न आधारों पर किये जाने हेतु निवेद न है :–

1– यहकि, विषयान्तर्गत प्रकरण मे ग्राम बबेडी जंगल स्थित भूमि खसरा नं0 37 को नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा अपने प्रकरण कमांक 48/अ–19/1969–70 तथा 49/अ–19/1969–70 मे आदेश दिनांक 18–2–1970 पारित किया गया एवं जिसमें अनावेदक कमांक 1 व 2 को भूमि खसावरा नं. 37 जुज मे से 4.000, 4.000 हेक्टेयर के पट्टा भूमि स्वामी हक के प्रदान किये गये है । जो कि पूर्ण रूप से विधि विरूद्व आदेश पारित है । इसी आदेश को माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर विधिक भूल की है । जो कि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 19–08–2016 विधि एवं न्याय संगत न होने से निरस्ती योग्य है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3228–एक/16 जिला –टीकमगढ

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शासन विरूद्व सरला आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6 .12 .16	आवेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2561–एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2016 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3228–एक/2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2561–एक/2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.08.2016 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 3228–एक/2016 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–	

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक शासन के पैनल अधिवक्ता ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(एम0 के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मधप्रदेश
ग्वालियर